न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला—अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या – 12/2012

उनवान

1. श्रीमती मूमी पत्नी स्व0 श्री घीसा
2. श्रीमती जडांव पुत्री स्व0 श्री घीसा
3. श्री मोटा पुत्र स्व0 श्री घीसा
4. श्री अमरा पुत्र स्व0 श्री घीसा
5. श्री सम्पत पुत्र स्व0 श्री घीसा
6. श्री समरा पुत्र स्व0 श्री घीसा

समस्त जाति चीता निवासीगण ग्राम सोमलपुर तहसील व जिला अजमेर

अपीलान्ट

बनाम

1. श्री करीमा पुत्र श्री समदा
2. श्री भंवर पुत्र श्री समदा
3. श्री अबलू पुत्र श्री समदा

समस्त जाति चीता निवासीगण ग्राम सोमलपुर तहसील व जिला अजमेर

4. ग्राम पंचायत सोमलपुर जरिए सरपंच
5. राजस्थान सरकार जरिए विद्वान तहसीलदार अजमेर जिला अजमेर

रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधि0 1956 विरूद्व नामान्तकरण सं01395 दिनांक 20.03.12 जो ग्राम दौराई द्वारा पारित किया गया ।

आदेश

दिनांक :– 09.1.2020

अपील के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर अवस्थित खाता संख्या 102 के खसरा नम्बर 1337 रकबा 03–09–00, 1338

Scanned by CamScanner

रकबा 03—09—10, 2752/1338 रकबा 00—14—00 में से 1/2 हिस्से की कृषि भूमि मूल खातेदार हरजी पुत्र हालू से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा अपीलान्ट के पति एवं पिता स्व0 श्री घीसा पुत्र सवाई, जाति चीता द्वारा क्रय की जाकर भौतिक आधिपत्य प्राप्त किया गया । जिस भूमि की खातेदारी जरिए नामान्तकरण संख्या 13 दिनांक 25.10.1986 को स्वर्गीय श्री घीसा पुत्र सवाई के नाम अंकित की गई। जिनका कि स्वर्गवास दिनांक 10.9.2002 को हो जाने के बाद जरिए विरासत नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 05.05.2005 द्वारा उक्त वर्णित कृषि भूमियां अपीलान्ट व अन्य विधिक वारिसान के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी अंकित होकर बहैसियत खातेदार संयुक्त रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है, परन्तु ग्राम पंचायत दौराई द्वारा अपीलान्ट को किसी प्रकार से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना तथा विधिक प्रावधानो के तहत भौतिक आधिपत्य की जांच किये बिना तथा विरासत नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 05.05.2005 को चुनौती दिये बिना उक्त वर्णित कृषि भूमि के 1/3 हिस्से की भूमि को जरिए नामान्तकरण संख्या 1395 दिनांक 20.03.2012 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम स्वीकृत किये जाने की गैर कानूनी आज्ञा पारित कर दी। ग्राम पंचायत दौराई द्वारा नामान्तकरण संख्या 1395 दिनांक 20.3.2012 पारित किये जाने से पूर्व अपीलान्ट जो कि आराजी मुतनाजा के रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे थे को किसी प्रकार से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान नही किया गया । पटवारी हल्का दौराई द्वारा नामान्तकरण संख्या 1395 दिनांक 20.3.2012 भरे जाते समय नामान्तकरण के कॉलम संख्या 16 में नामान्तकरण संख्या 1395 भरे जाने की कोई तिथि अंकित नही की गई । जिससे विधिक प्रावधानो के तहत यह समय सीमा निर्धारित्त नही होती है कि नामान्तकरण भरे जाने की तिथि से तीस दिवस से विद्वान ग्राम पंचायत दौराई द्वारा उक्त नामान्तकरण पारित किया गया । उक्त भूमि बाबत दस्तावेज दिनांक 09.09.2003 को उप पंजीयन कार्यालय, अजमेर में पंजीयन होना अंकित करते हुए भरा गया है। इस प्रकार स्वयं पटवारी हल्का द्वारा अंकित प्रविष्टियों से रेस्पो. संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संदिग्ध होने तथा नो वर्षो तक दस्तावेज का पंजीयन होन जाने के बाद नामान्तकरण अंकित नही करवाये जाने बाबत तथ्य स्पष्ट नही थे। जिन तथ्यों क राजस्व एजेन्सी एवं ग्राम पंचायत दौराई द्वारा अपील अन्तर्गत नामान्तकरण बाबत कोई जांच नही करवाई गई। इस प्रकार उक्त नामान्तकरण दस्तावेजो एवं भौतिक आधिपत्य के तहत विवादित होकर उसे निर्णित किये जाने का क्षेत्राधिकार अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम पंचायत दौराई में निहित नही करता था । अतः विद्वान ग्राम पंचायत दौराई द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1395 दिनांक 20.3.2012 विधिक प्रावधानो एवं क्षेत्राधिकार के विपरित होकर निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी मुतनाजा अपीलान्ट के पैतृक संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की होकर नामान्तकरण संख्या 1395 निांक 20.3.2012 पारित किये जाने से पूर्व ही पारित विरासत नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 5.5.2005 के आधार पर बहैसियत

Scanned by CamScanner

रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। जिस विरासत नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 05.05.2005 को रेस्पो संख्या 1 लगायत 3 द्वारा कभी भी किसी प्रकार की कोई चुनौति नही दी गई तथा ना ही अपीलान्ट से भौतिक आधिपत्य ही प्राप्त किया गया । इस प्रकार राजस्व एजेन्सी द्वारा लेण्ड रिकार्ड रूल्स के नियम 119 से 121 की पालना किये बिना उक्त नामान्तकरण भरकर जांच रिपोर्ट की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के हक में विघमान तथाकथित दस्तावेज इस आधार परभी संदिगध प्रतीत होते है कि दस्तावेज पंजीयन होने के बाद नो वर्षो का समय व्यतीत हुआ तािउस दस्तावेज को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा घीसा के स्वर्गवास बाद प्रकट किया गया जबकि अपील अन्तर्गत नामान्तकरण पारित किये जाने से पूर्व विरासत नामान्तकरण सख्या 385 स्वीकृत किया गया । तत्समय ना तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 तथा ना ही उनके पिता श्री समदा द्वारा किसी प्रकार का कोई एतराज प्रस्तुत नही किया गया ।अतः उपरोक्तानुसार अपील अन्तर्गत नामान्तकरण संदिग्ध परिस्थितियों में होकर विवादित होने से ग्राम पंचायत दोराई को निर्णित किये जाने का कोई क्षेत्राधिकार निहित नही करता था । विरासत नामान्तकरण संख्या 385 दिनांक 5.5.2005 द्वारा अपीलान्ट के हक, अधिकार निहित हो चुके थे जिसके तहत अपीलान्ट आराजी मुतनाजा पर बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। ऐसी स्थिति में अन्तर्गत धारा 133 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में उल्लेखित विधिक प्रावधानो के विपरित जाकर ग्राम पंचायत दौराई द्वारा नामान्तकरण संख्या 1395 दिनांक 20.3.2012 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत दोराई द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 1395 दिनांक 20.3.2012 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट 1 से 3 की ओर से श्री सुशील कुमार व्यास अधिवक्ता उपस्थित आये ।

रेस्पोडेन्ट एक से 3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण संख्या 1395 दिनांक 20.03.2012 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसमें उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 5.7.2012 में होना बताया गया है। जबकि जानकारी के बावजूद अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की है जिसमें उनके द्वारा जानकारी होने के पश्चात अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई उसका कोई सदभाविक कारण अपने धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित नही किए है जो की प्रावधानो के अनुसार अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को प्रत्यके दिन का सदभाविक कारण मय दस्तावेज से सिद्व करना होता है इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। साथ ही रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने निवेदन किया कि नामान्तकरण एक समरी कार्यवाही है। उक्त नामान्तकरण पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है। जिसका विस्तृत वर्णन नामान्तकरण के कॉलम संख्या 16 में अकित

Scanned by CamScanner

...या गया है इस प्रकार पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर खोले गए नामान्तकरण के आधार पर दर्ज इन्द्राज को अपील के माध्यम से निरस्त नही करवाया जा सकता । अपितु अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया । उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील नामान्तकरण संख्या 1395 दिनांक 20.03.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 5.7.2012 में होना बताया गया है। जबकि जानकारी के बावजूद अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील भारी मियाद बाहर प्रस्तुत की है जिसमें उनके द्वारा जानकारी होने के पश्चात अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई उसका कोई सदभाविक कारण अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित नही किए है जो की प्रावधानो के अनुसार अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को प्रत्यके दिन का सदभाविक कारण मय दस्तावेज से सिद्व करना होता है इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। साथ ही उक्त नामान्तकरण पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर खोला गया है। नामान्तकरण एक समरी कार्यवाही है जिसका विस्तृत वर्णन नामान्तकरण के कॉलम संख्या 16 में अकित किया गया है इस प्रकार पंजिकृत विक्रय पत्र के आधार पर खोले गए नामान्तकरण के आधार पर दर्ज इन्द्राज को अपील के माध्यम से निरस्त नही करवाया जा सकता । अपितु अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वत्रत है।

अतः परिणामातः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार अपील अपीलान्ट मियाद बाहर हाने से व सारहीन भारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 09.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner